# सुरक्षित बचपन

बच्चों को समझा जाना एवं
उन पर विश्वास किया जाना चाहिए....

Visit us at : www.centreforchildprotection.org
Email : ccp@policeuniversity.ac.in

# सुरक्षित बचपन

**बच्चों को समझा जाना एवं,**
**उन पर विश्वास किया जाना चाहिए....**

**बच्चों के सर्वोत्तम हित**
**में समर्पित**

**सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन**
**सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान**
Email : ccp@policeuniversity.ac.in • Visit us at : www.centreforchildprotection.org

**अवधारणा व मार्गदर्शन :**

**श्री राजीव शर्मा** (IPS)
निदेशक, सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर

**लेखन व संपादन :**

**डॉ. विजेन्द्र सिंह सिद्धू**
सलाहकार, सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन

**सहयोग:**

श्री प्रवीण सिंह
श्रीमती शारदा सिंह
श्रीमती अदिति व्यास
श्री आशुतोष श्रीवास्तव

**डिजाईनिंग व प्रिंटिंग आभार:**

भगवती प्रिन्टर्स
शॉप नं. 67–68, सेक्टर 9 शॉपिंग सेन्टर,
मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर


**घोषणा :**

यह पुस्तिका बाल यौन शोषण पर बच्चों के सर्वोत्तम हित में तैयार की गयी है। इसे उपयुक्त अभारोक्ति (ऐक्नॉलेज्मेंट) के साथ उपयोग किया जा सकता है। इस दस्तावेज का उद्देश्य बाल संरक्षण कार्यों से जुड़े हुए प्राधिकारियों एवं हितधारकों की आवश्यक क्षमता वर्धन करने के साथ उनमें जागरूकता प्रदान करना है। विश्वसनीय जानकारी के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण कानून 2012 (पॉक्सो एक्ट) व इसके मॉडल नियमों के अधिकृत संस्करणों का संदर्भ लें।

## निदेशक की कलम से

सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन (बाल संरक्षण केंद्र–सीसीपी) सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा व दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय (SPUP), जोधपुर, राजस्थान सरकार के तहत कार्यरत है। वर्ष 2015 में स्थापित यह केंद्र बाल संरक्षण के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और नीति निर्माण के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहा है। देशभर में विभिन्न हितधारकों के बीच बाल संरक्षण संबंधित विषय पर ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना इस केंद्र के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस उद्देश्य के लिए सीसीपी, यूनिसेफ के सहयोग से पुलिस में संवेदनशीलता बढ़ाने और क्षमता वर्धन हेतु बाल संरक्षण के मुद्दों पर पुस्तिकाएं तैयार करता है। बाल यौन शोषण पर केंद्रित यह पुस्तिका एक संदर्भ पुस्तिका का कार्य करेगी। पाठकों की सुविधा के लिए इसमें चित्रों के माध्यम से समझाया गया है।

बाल यौन शोषण आज के समाज में तेजी से बढ़ता हुआ एक खतरा है और यह सभी ओर से ध्यान आकर्षित कर रहा है। बाल यौन शोषण किसी विशेष स्थान या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह कहीं भी हो सकता है जैसे घर, स्कूल, पड़ोस इत्यादि। अधिकतर मामलों में अपराधी पीड़ितों के जानकार होते हैं और कई मामलों में वे रिश्तेदार भी होते हैं।

क्योंकि इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श के बारे में शिक्षित किया जाए। न केवल बच्चों बल्कि प्रमुख हितधारकों, जैसे पुलिस, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, शिक्षकों, अभिभावकों, रिश्तेदारों, समाज, एनजीओ इत्यादि को भी बाल यौन शोषण व इन अपराधों के लिए सजा के प्रावधानों के बारे में शिक्षित किया जाए। इससे काफी हद तक वांछित सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाए जाने की आशा की जाती है।

**राजीव शर्मा** (आईपीएस)
डायरेक्टर सीसीपी–एसपीयूपी
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
राजस्थान, जयपुर

# विषय-सूची


| | |
|---|---|
| ''बाल यौन शोषण : एक परिचय'' | 5 |
| बाल यौन शोषण के संकेत व लक्षण | 6 |
| बच्चे अपने यौन शोषण को क्यों छुपाते हैं | 7 |
| जब बच्चा कुछ बताने लगे | 8 |
| शोषक की पहचान करने के कुछ संकेतक | 9 |
| बाल यौन शोषण के कुछ संभावित कारक | 10 |
| सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श | 10 |
| क्या करना चाहिए यदि कोई आपको गलत तरीके से स्पर्श करे | 12 |
| पॉक्सो अधिनियम, 2012 की प्रमुख विशेषताएं | 13 |
| पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रमुख प्राधिकारियों की भूमिका | 14 |
| एनसीपीसीआर (भारत सरकार) की गाईडलाईन्स के अनुसार बाल मित्र पुलिस की भूमिका | 16 |
| पुलिस द्वारा क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं | 18 |
| पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों एवं सजाओं की सूची | 19 |
| बच्चों की संस्थागत व गैर–संस्थागत देखभाल | 20 |
| राजस्थान में पीड़ित प्रतिकार योजना | 21 |
| संकेताक्षर की सूची | 22 |



**आभारोक्ति :**

- ★ बच्चों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न हितधारकों के लिए एनसीपीसीआर की गाईडलाईन्स
- ★ पॉक्सो एक्ट व नियम, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016
- ★ महिला व बाल विकास मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP)
- ★ Nipccd.nic.in, ncpcr.gov.in, wcd.nic.in, unicef.org, CPlibrary.in
- ★ पुलिस मुख्यालय (राजस्थान) व बाल अधिकारिता विभाग (राजस्थान), द्वारा जारी गाईडलाईन्स
- ★ क्लिपआर्ट के लिए Freepik.com




# ''बाल यौन शोषण : एक परिचय''

- पॉक्सो 2012 की धारा 2 (1) की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति ''बच्चा'' होता है।
- बाल यौन शोषण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :
  - ★ बाल यौन शोषण तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी यौन संतुष्टि के लिए एवं/या व्यावसायिक उद्देश्य से किसी बच्चे को किसी यौन गतिविधि में शामिल करता है।
  - ★ बाल यौन शोषण व्यापक रूप से फैली हुई एक सामाजिक बुराई है जो परिवार के अन्तर्गत व परिवार से बाहर/दूर दोनों स्थानों पर हो सकता है।
  - ★ अधिकतर मामलों में बच्चे अपराधी को जानते हैं और वे परिवार के करीबी हो सकते हैं।
  - ★ अपराधी युवा या अधिक उम्र का हो सकता है।
  - ★ पॉक्सो एक्ट बच्चों के बीच या किसी बच्चे व व्यस्क के बीच सहमति से होने वाले यौन कृत्यों को मान्यता नहीं देता है।
  - ★ किसी व्यक्ति के जेंडर या बाहरी दिखावट से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वह व्यक्ति बाल यौन अपराधी है या नहीं। इसके अतिरिक्त, वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक पृष्ठभूमि के हो सकते हैं।
  - ★ किसी व्यस्क के अनुचित कृत्यों के लिए कोई बच्चा जिम्मेदार नहीं हो सकता। अपराधी स्वयं ही पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। किसी व्यस्क की तुलना में एक बच्चा हमेशा अधिक जोखिमपूर्ण स्थिति में रहता है। पॉक्सो एक्ट, 2012 के अनुसार कोई बच्चा या 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक किसी भी परिस्थिति में यौन संबंधों के लिए कभी भी सहमति नहीं दे सकते।
  - ★ कुछ बच्चे उन पर हुए यौन शोषण का कभी भी खुलासा नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि ऐसा करने से उनकी इज्जत और ज्यादां खराब होगी। इसी कारण से बाल यौन शोषण को एक ''खामोश समस्या'' कहा जाता है।
  - ★ बाल यौन शोषण कहीं भी हो सकता है। यह किन्हीं विशेष कस्बों या शहरों तक ही सीमित नहीं है। मुजरिम भी किसी विशेष वर्ग या समुदाय तक ही सीमित नहीं हैं। वे कोई भी हो सकते हैं।
  - ★ पीड़ित बच्चा किसी भी जेंडर का हो सकता है। लड़के भी लड़कियों जितने ही यौन शोषण के खतरे में रहते हैं। हालांकि लड़कों में इस बात को छुपाने की या इनकार करने संभावना ज्यादा होती है कि उनका शोषण हुआ है।
  - ★ बाल यौन शोषण अक्सर कई सप्ताहों तक या यहां तक कि कई सालों तक भी चलता रहता है। शोषण करने वाला ताकत, चालाकी, रिश्वत/लालच, धमकी या दबाव आदि तरीके अपना सकता है।
  - ★ बाल यौन शोषण को समाज में वर्जित माने जाने के बावजूद भी यह एक गंभीर समस्या बनी हुई है और इस समस्या के लिए व विशेषकर इसे घेरे रहने वाली खामोशी के लिए उपचारात्मक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है।
  - ★ बाल यौन शोषण शारीरिक संपर्क/स्पर्श करते हुए या बिना किए दोनो तरीकों से हो सकता है, जैसे पेनीट्रेटिव सैक्स (प्रवेशन लैंगिक हमला) या बच्चे को अश्लील चीजें दिखाकर उसे दुलारना/फुसलाना।
  - ★ सन् 2007 में महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वे से यह स्पष्ट पता चला है कि जिन बच्चों का एक या अधिक बार यौन शोषण हुआ है उनमें से 53 प्रतिशत लड़के थे।
  - ★ शोषक द्वारा ग्रूमिंग तकनीक (तैयार करना) का इस्तेमाल किया जाता है।

## बाल यौन शोषण के संकेत व लक्षण

चलने व बैठने में परेशानी

सोने में परेशानी व थकावट

बच्चे के निजी अंगों पर बार–बार अस्पष्ट/दिखाई न देने वाली चौटें लगना

बच्चे के व्यवहार में बदलाव, जैसे सुस्ती, अनुचित आक्रामकता/गुस्सा करना

बिस्तर गीला करना या अंगुठा चूसते रहना

बच्चा अचानक किसी विशेष स्थान या व्यक्ति को नापसंद करने लगे

अचानक रुपए/पैसे या गिफ्ट इक्कट्ठे कर लेना

स्कूल/पढ़ाई में ध्यान न लगना

अकेलापन/अकेला रहना, अवसाद व चिंता की गहरी भावना

**नोट:** ये लक्षण सूचक मात्र है व इनके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए, अभिभावकों को ध्यान देने की जरूरत है।



## बच्चे अपने यौन शोषण को क्यों छुपाते हैं

क्योंकि उन्हे घटना को शब्दों में बयान करने की समझ नहीं होती

अपराधी द्वारा धमकाए जाने के कारण

बदनामी होने के डर से

अपनों द्वारा त्यागे जाने का डर

खुद को दुर्बल महसूस करना और सोचना कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है

अपराधी का परिवार के साथ कोई सम्बन्ध होना या जानकार होना

खुद को अपराधी समझना

यह सोचना कि कोई भी उन्हें नहीं समझेगा/उन पर विश्वास नहीं करेगा

जब अपराधी परिवार का ही एक सदस्य हो

## जब बच्चा कुछ बताने लगे

बिना कोई प्रतिक्रिया करे ध्यान से सुनें

बच्चे को कोई दोष न दें,
उस पर विश्वास करें

बच्चे को बहादुर बताते हुए
उसकी प्रशंसा करें

बच्चे को कहें कि इसमें उसका
कोई दोष नहीं है

बच्चे का साथ दें और तर्क करते हुए उसे
पीड़ित होने का अहसास न दिलाएं

चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 पर कॉल करें /
पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं



## शोषक की पहचान करने के कुछ संकेतक

हालांकि इसके कोई निर्धारित संकेतक नहीं है, लेकिन नीचे दिए गए संकेतक पहचान करने में सहायक हो सकते हैं: यदि कोई –

- ★ किसी बच्चे के प्रति ज्यादा ध्यान देना या अधिक लगाव दर्शाये।
- ★ बच्चे के चाहे बिना भी उसे छूना, गले लगाना, चूमना इत्यादि।
- ★ बच्चे के यौन विकास में अधिक रूचि रखता दिखाई दे एवं इसके बारे में बच्चे से बात करे।
- ★ बच्चे के साथ अकेले में समय बिताने की हमेशा कोशिश करे।
- ★ बिना किसी उचित वजह के बच्चे को गिफ्ट या रुपए/पैसे देना।
- ★ शोषक परिवार का एक नजदीकी सदस्य हो सकता है और हमउम्र मित्रों के साथ समय बिताने की बजाय अधिकतर समय बच्चों के साथ बिताने में रूचिकर हो सकता है।

### यौन शोषण से पीड़ित

**80%** से अधिक

### बच्चे अपने शोषक को पहचानते हैं।

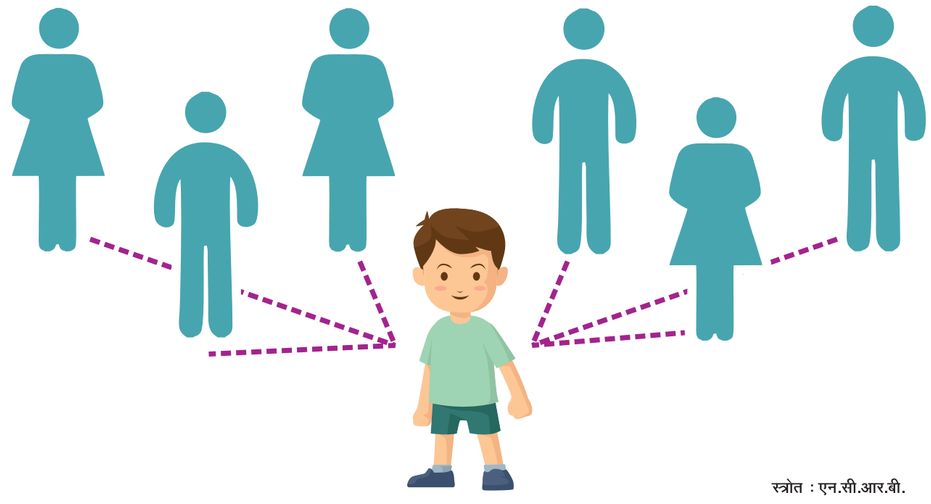

स्त्रोत : एन.सी.आर.बी.

## बाल यौन शोषण के कुछ संभावित कारक

- ★ लैंगिक यौन शोषण विषय पर बात करने में सामाजिक शर्मिंदगी व संकोच।
- ★ बच्चों में सही व गलत स्पर्श के बारे में जानकारी का आभाव होना।
- ★ लैंगिक यौन शोषण से संबंधित सामाजिक पाबंदियाँ समाज में शर्मिंदगी और खामोशी का कारण बनती हैं।
- ★ बाल यौन शोषण के मामलों की कम रिपोर्टिंग।
- ★ समाज में महिलाओं और बच्चों पर होने वाली लिंग आधारित (जेंडर–बेस्ड) हिंसा के प्रति कुछ हद तक सहनशीलता।
- ★ यदि यौन शोषण होता हैं तो उसके लिए ''बच्चे को गलत'' ठहराने की प्रथा।
- ★ बच्चों की कम सहभागिता। जो मुद्दे बच्चों को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं, आमतौर पर उनके संबंध में बच्चों की बातों को सार्वजनिक तर्कों में अहमियत नहीं दी जाती व उनकी आवाज नहीं सुनी जाती।

## बच्चे की कुछ भावनायें

**डर**
- ★ अपराधी से
- ★ घर से बाहर जाने में
- ★ अपने करीबी वयस्क को खोने का
- ★ परेशानी पैदा होने का
- ★ अलग समझे जाने का

**क्रोध**
- ★ अपराधी के प्रति
- ★ कि दूसरे वयस्कों ने उसकी सुरक्षा नहीं की
- ★ स्वयं के ऊपर (यह सोचकर कि उन्होंने खुद परेशानी पैदा की है)

**भ्रम**
- ★ उनकी भावनाएं बदलती रहती हैं
- ★ वे अभी भी दोषी को प्यार करते हैं

**दु :ख**
- ★ उन्हें किसी चीज से दूर रखा गया था
- ★ जिस पर भरोसा किया उसी ने विश्वासघात किया
- ★ अपना कुछ खो देने के कारण
- ★ वे बहुत जल्द परिपक्व हो गए

**ग्लानि**
- ★ वे घटना को होने से नहीं रोक सकते
- ★ इस बात को छिपाने के कारण
- ★ यह मानना कि इसे होने के लिए उन्होंने स्वयं ''सहमति'' दी थी

**शर्मिन्दगी**
- ★ उन्हें ऐसा शोषण झेलना पड़ा
- ★ शोषण के प्रति उनके शरीर की प्रतिकिया

**अलगाव**
- ★ यह समझना कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है
- ★ यह महसूस करना कि उन्हें अपनी समस्या का सामना खुद ही करना है
- ★ उन्हें शोषण के बारे में बात करने में परेशानी होती है



## सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श

### सुरक्षित स्पर्श (अच्छे स्पर्श)

- ★ जब स्पर्श करने के बाद आप अच्छा व सुरक्षित महसूस करें
- ★ इससे बच्चा अन्दर से खुशी महसूस करता है जैसे कोई व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हैं आपको गले लगाए या आपके किसी करीबी द्वारा आपका हाथ पकड़ना
- ★ जब आपके माता–पिता आपको गले लगाएं, आपके दोस्त हाई–5 करें, पीठ पर थपथपाएं।

### असुरक्षित स्पर्श (बुरे स्पर्श)

- ★ जिस स्पर्श से आप अच्छा महसूस न करें
- ★ जब कोई आपको या आपके शरीर को किसी गलत इरादे से स्पर्श करे
- ★ आप जहाँ (शरीर में जिस जगह) स्पर्श किया जाना पसंद न करें (चित्र देखें)
- ★ जब कोई आपके कपड़ों के नीचे स्पर्श करे
- ★ कोई भी स्पर्श जिससे आपको डर लगे या परेशानी हो
- ★ जब कोई व्यक्ति आपको कहे कि ''किसी से मत कहना''
- ★ जब कोई व्यक्ति आप द्वारा किसी को बताए जाने पर आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी दे

अच्छा/सुरक्षित स्पर्श | स्पर्श करना ठीक है (यदि यह आपको सुरक्षित और अच्छा लगे) | बुरा/असुरक्षित स्पर्श

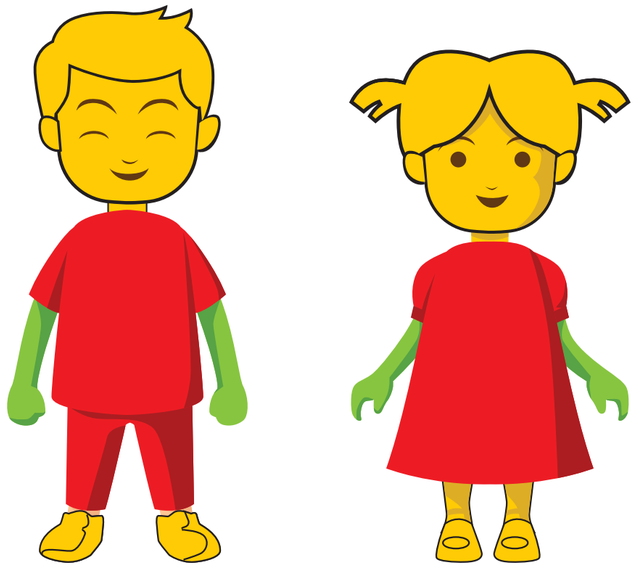

## क्या करना चाहिए यदि कोई आपको गलत तरीके से स्पर्श करे

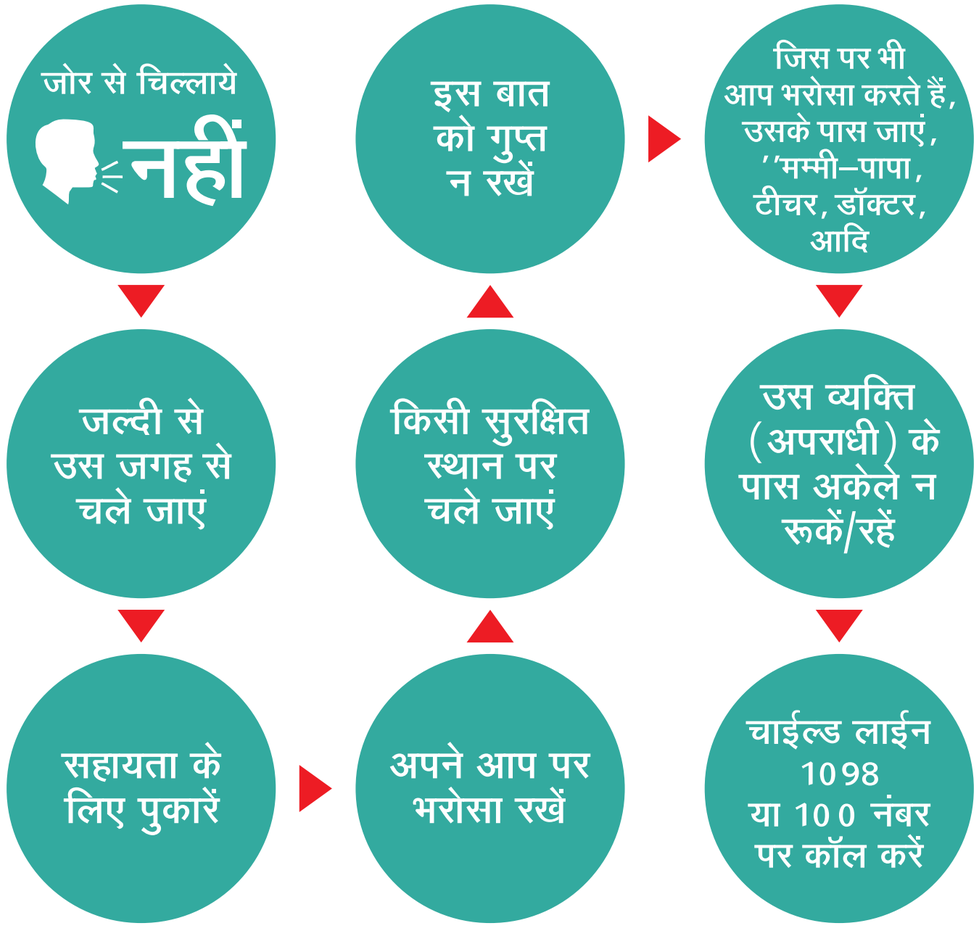


आप ऑनलाईन भी शिकायत कर सकते हैं : **www.ncpcr.gov.in**

## पॉक्सो अधिनियम, 2012 की प्रमुख विशेषताएं

- ★ यह अधिनियम 18 साल से कम आयु के हर व्यक्ति को बच्चा मानता है और यह प्रत्येक स्तर पर बच्चों के सर्वोत्तम हितों व कल्याण को सर्वाधिक महत्व देता है ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य व सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- ★ पॉक्सो में सबूतों का भार अपराधी पर रहता है (सेक्शन 29)
- ★ पॉक्सो एक जेंडर निष्पक्ष कानून है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों व लड़कियों दोनों पर होने वाले यौन अपराधों की पहचान की जाती है।
- ★ यह सभी मुजरिमों को सजा दिलाना सुनिश्चित करता है।
- ★ यौन अपराधों की वृहद रेंज (उदाहरण : यौन हमला, बच्चे का पीछा करना आदि)
- ★ यदि संरक्षक ही शोषक हो तो उसके लिए कठोर दण्ड (सेक्शन 5 व 9)
- ★ बाल मित्र प्रक्रियाएं
- ★ जाँच व सुनवाई की सभी प्रक्रियाओं के दौरान बच्चे की सहायता सुनिश्चित करना
- ★ बाल यौन शोषण की रिपोर्टिंग की अनिवार्यता के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही होना (सेक्शन 19)
- ★ बच्चे व उसके परिवार की गोपनीयता (सेक्शन 23) (मीडिया के लिए)
- ★ यह विभिन्न प्रकार के यौन शोषणों को परिभाषित करता है, जिनमें वैधनीय व अवैधनीय यौन हमले, यौन उत्पीड़न व पॉर्नोग्राफी (अश्लीलता) भी शामिल हैं। यह कई यौन हमलों को ''गंभीर (एग्रेवेटेड)'' मानता है, जैसे कि यदि पीड़ित बच्चा मानसिक रूप से बिमार हो या जब शोषण किसी करीब रहने वाले भरोसेमंद या जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाए जैसे परिवार का कोई सदस्य, पुलिस ऑफिसर, अध्यापक/अध्यापिका या डॉक्टर आदि।
- ★ जो लोग यौन उद्देश्यों से बच्चों का व्यापार करते हैं उनके लिए इस अधिनियम के तहत बहकाने/उकसाने के कारण दण्ड का प्रावधान है। यह अधिनियम अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा दिलवाता है जो कि जुर्माने सहित आजीवन कारावास की कड़ी सजा जितनी अधिकतम भी हो सकती है।

NCPCR

आभार: पोक्सो एक्ट के नियम, 2012 व एनसीपीसीआर की गाईडलाईन्स

# पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रमुख प्राधिकारियों की भूमिका

(पॉक्सो नियमों व एनसीपीसीआर की गाइडलाइन्स के अनुसार)

**पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई**

- अपराध की सूचना दर्ज करना
- आरंभिक जाँच व पूछताछ करना (सेक्शन 19)
- बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह पता लगाना कि क्या बच्चे को ''देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता'' है।
- 24 घंटों के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति/विशेष अदालन को मामले की रिपोर्ट करना
- यदि आवश्यकता हो तो बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना
- यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना
- बाल कल्याण समिति/विशेष अदालत को सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में 24 घंटों के अंतर्गत सूचित करना।
- अभिभावकों/माता–पिता को सूचित करना
- यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समय बच्चा अपराधी के सम्पर्क मे न आए
- यदि बच्चा स्वयं ही सूचना देता है तो रिपोर्ट सरल भाषा में दर्ज की जानी चाहिए जिसे बच्चा समझ सकता हो (सेक्शन 19(3), पॉक्सो एक्ट)
- सूचना देने वाले और पीड़ित को जानकारी देना

**बाल कल्याण समिति (CWC)**

- यदि बच्चा ''देखभाल व संरक्षण की जरूरत'' वाला पाया जाता है तो उसे 3 दिनों के भीतर परिजनों के पास वापिस भेजना/बालगृह/शेल्टर होम में भेजना।
- सहायक व्यक्ति उपलब्ध कराना।

**जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)**

- इन्टरप्रेटर्स/अनुवादक/विशेष शिक्षकों इत्यादि की एक सूची मेंटेन करना व इसे प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाना
- इन्टरप्रेटर्स/अनुवादक की सेवाओं का भुगतान करना

**मजिस्ट्रेट**

- बच्चे के निवास स्थान या उसकी पसंद/आराम के स्थान पर उसके बयान दर्ज करना
- बच्चे/माता–पिता/प्रतिनिधि को पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के दस्तावेज की एक प्रति देना

**विशेष अदालत/जज**

- एकान्त में सुनवाई (इन–कैमरा ट्रायल) सुनिश्चित करना
- बाल–मैत्रिक वातावरण सुनिश्चित करना
- बच्चे की गरिमा का सम्मान करना
- बच्चे की पहचान को गोपनीय रखना
- 30 दिनों के भीतर सबूत रिकार्ड करना
- एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करना



**विशेष जन अभियोजक**

- अधिनियम के तहत मामलों का अभियोजन (केस लड़ना)

**सहायक व्यक्ति (सपोर्ट पर्सन)**

- गोपनीयता बनाए रखना
- माता–पिता/अभिभावकों को सूचित करते रहना
- न्यायिक प्रक्रिया में बच्चे को उसकी स्वयं की भूमिका के बारे में जानकारी देना

**राज्य सरकार**

- अदालत या विशेष अदालत गठित करना
- एक विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त करना
- अधिनियम का प्रचार करना
- प्राधिकारियों/हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना
- नियम व गाइडलाइन्स तैयार करना

**केन्द्र सरकार**

- अधिनियम का प्रचार करना
- प्राधिकारियों/हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना
- नियम व गाइडलाइन्स तैयार करना

**एनसीपीसीआर एससीपीसीआर (NCPCR) (SCPCR)**

- अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करना
- विशेष मामलों के लिए बाल कल्याण समितियों से रिपोर्ट लेना
- वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय के माध्यम से अधिनियम की क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करना

**परामर्शदाताओं (काउंसलर्स) की भूमिका**

- बच्चे की शारीरिक व मानसिक अवस्था को समझना
- आघात को सामान्य करना और बच्चे को ठीक होने में व उसके विकास में सहायता करना
- बच्चे की उन सभी परिस्थितियों को सुनना जिनके कारण उसे उस समस्या का सामना करना पड़ा
- जोखिम के समय में बच्चे को उचित प्रतिक्रिया देना
- उन्हें रेफर किए गए बच्चों के लिए काउंसलिंग, सपोर्ट व समूह–आधारित कार्यक्रम आयोजित करना।
- बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तिगत व सामाजिक विकास और उसके स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती में सुधार करना और इनको बढ़ावा देना
- बच्चे को उसके परिवार/समाज से वापस जोड़ने में सहायता करना

# एनसीपीसीआर (भारत सरकार) की गाईडलाईन्स के अनुसार बाल मित्र पुलिस अधिकारी की भुमिका

देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों (सीएनसीपी) के लिए गाइडलाइन्स –

## व्यवहार व आचरण

- बच्चे से बात (इन्टरैक्ट) करने वाले पुलिस अधिकारियों को अपने हाव–भाव, शारीरिक प्रतिक्रियाओं, आंखों की हलचल, बात करने के तरीके व लहजे का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा सहज व सुरक्षित महसूस करे और किसी भी कारण से बच्चे को डाँटना या धमकाना नहीं चाहिए।
- बच्चे से बात (इन्टरैक्ट) करने वाले पुलिस अधिकारी को बच्चे के साथ हमेशा एक शुभचिंतक की तरहं बर्ताव करना करना चाहिए और बच्चे के सर्वोत्तम हित को ही अपनी सभी कार्यवाहियों का आधार मानना चाहिए।
- किन्हीं भी परिस्थितियों में बच्चे के साथ अभद्र, अपमानजनक या नकारात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- बच्चे के साथ इन्टरैक्ट करने वाले पुलिस अधिकारी को जहां तक संभव हो बच्चे के निजी जिंदगी पर नहीं जाना चाहिए और उससे शारीरिक संपर्क नही करना चाहिए।
- पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना का कारण बनने से बचना चाहिए।
- बच्चे से बात करते समय पुलिस अधिकारी को तम्बाकू या किसी अन्य व्यसनकारी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए।
- बच्चे से बात करते समय पुलिस अधिकारी को मोबाईल फोन पर बात नहीं करनी चाहिए या चैटिंग आदि के लिए बार–बार चेक नहीं करना चाहिए।
- पुलिस अधिकारी को बच्चे के सामने आक्रामक तरीके से बात नहीं करनी चाहिए।
- बच्चे से इन्टरैक्ट करने वाले पुलिस अधिकारी को बच्चों संबंधित कानून की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए।

## कार्यप्रणाली व प्रक्रियाएँ

- बच्चे के आत्म–सम्मान व गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- बच्चे से इन्टरैक्ट करते समय बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) को वर्दी में नहीं होना चाहिए।
- बच्चे को किसी भी परिस्थिति में रातभर पुलिस स्टेशन में नहीं रोकना चाहिए।
- बच्चे के बयान बहुत विनम्रता से बच्चे की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दर्ज किए जाने चाहिए।
- यदि बच्चे को किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है तो उसे विस्तार से समझाया जाना चाहिए कि उस पर क्या लिखा है और उस पर हस्ताक्षर करने से क्या होगा। बच्चे को यह भी बताया जाना चाहिए कि यदि वह उस लेख से सहमत नहीं है तो वह बता सकता/सकती है कि उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। जहाँ जरूरत हो, अनुवादक या विशेषज्ञ की सहायता ली जानी चाहिए।
- किसी बालिका से इन्टरैक्ट करते समय एक महिला पुलिस अधिकारी/महिला सामाजिक कार्यकर्ता की मौजूदगी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- पीड़ित बच्चे व उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस पूछताछ के दौरान और आरोपी की शिनाख्त करते समय पीड़ित बच्चे व आरोपी के मध्य कोई सम्पर्क न हो पाए।
- बच्चे से इन्टरैक्ट करने से पहले सुविधाजनक व आरामदायक माहौल तैयार किया जाना चाहिए।
- बच्चे व उसके परिजनों को कानूनी स्वयंसेवकों व सहायक व्यक्तियों की उपलब्धता के बारे मे सूचित किया जाना चाहिए।
- बच्चे के बयान उसके माता–पिता या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने दर्ज किए जाने चाहिए जिस पर वह विश्वास या भरोसा करता/करती हो और उन्हें बिलकुल वैसे ही दर्ज किया जाना चाहिए जैसे बच्चे ने बोले हों। बच्चे के बयान ऑडियो–वीडियो या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से दर्ज किए जाने चाहिए।
- जरूरत पड़ने पर पुलिस ऑफिसर बच्चे को अनुशासन के बारे में समझा सकते हैं। यदि बच्चे गलत व्यवहार करते हैं तो शान्तभाव व विनम्रता से उन्हें समझाया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चा भूखा या प्यासा न हो और यदि ऐसा है तो उनके लिए पर्याप्त भोजन व पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार न हो और इस प्रकार की किसी भी शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
- बच्चे व उसके परिजनों को नि :शुल्क कानूनी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
- यौन हमले के पीड़ित बच्चे की मेडीकल जाँच जहाँ तक संभव हो 24 घंटों के भीतर तुरन्त करवाई जानी चाहिए और बच्चे को आवश्यकता अनुसार चिकित्सीय उपचार, परामर्श व मनोचिकित्सकीय सहायता दिलवाई जानी चाहिए।
- वेश्यावृत्ति या किसी अनैतिक कार्य से मुक्त करवाई गयी बालिका को ''देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा'' माना जाना चाहिए और उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष ले जाना चाहिए।
- बच्चे व उसके परिजनों को उपलब्ध सरकारी योजनाओं, विशेषकर पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजनाओं, के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए जिससे उन्हें सहायता व राहत मिल सके।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शोषण व हिंसा के पीड़ित बच्चे व उसके परिजनों को केस की प्रक्रियाओं व उसके परिणामों के बारे में सूचित किया जाता रहे।
- यदि अपराधी की ओर से जमानत के लिए याचिका पेश की जाती है तो पीड़ित बच्चे व उसके परिजनों को इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- यदि ''देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे'' को बाल कल्याण समिति के समक्ष तुरन्त नहीं ले जाया जा सकता हो तो बच्चे को रात भर एक बाल गृह में सुरक्षित तरीके से ठहराया जाना चाहिए और उसके बाद उसे समिति के समक्ष ले जाना चाहिए।
- पॉक्सो के तहत आने वाले मामलों के ''सीएनसीपी'' पीड़ितों को अनिवार्य रूप से सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, अन्य प्रकार के मामलों के लिए सीडब्ल्यूसी को रिपोर्ट की जानी चाहिए।

## पुलिस द्वारा क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं

- किसी भी स्तर पर बाल यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने से इन्कार नहीं करें। यौन अपराध की घटना को दर्ज नहीं किया जाना पोक्सो एक्ट के तहत एक कारावास युक्त दण्डनीय अपराध है।
- बच्चे व उसके परिवार की बातों पर विश्वास करें, बच्चे के प्रति संवेदनशील रहें। बच्चे या परिवार के बारे अपने आप से किसी निर्णय पर न पहुचें।
- की गयी शिकायत को लिखें और यदि स्वयं बच्चा शिकायत करता है तो यह सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए। किसी कानूनी भाषा या कठिन शब्दावली का प्रयोग न करें जो बच्चे के समझ मे न आ सके।
- पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यवान बने रहें।
- आरामदायक और बच्चे की पसंद के स्थान पर उसके बयान दर्ज करें। पुलिस स्टेशन के परिसर में ही बयान लेने के लिए दबाव न डालें।
- कोई विशेष जवाब पाने के लिए कोई प्रश्न न पूछें या बातचीत के दौरान बच्चे के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी न दें।
- बयान दर्ज करने की तारीख के बारे में माता–पिता/अभिभावकों को पहले से सूचित करें जबकि बच्चे के बयान कम से कम सब–इंस्पेक्टर रैंक की महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा दर्ज किए जाएं।
- यदि बच्चा दिव्यांग/अक्षम हो तो विशेषज्ञों की सहायता लें। ऑडियो–विजुअल उपकरणों का उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चा कैमरे के सामने बोलने में सहज महसूस करे।
- यह सुनिश्चित करें कि शिकायत दर्ज होने के बाद बच्चा व आरोपी पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कभी भी एक दूसरे के सम्पर्क मे न आएं।
- ऐसा कोई प्रश्न जिससे बच्चा असहज महसूस करता हो, उसे संवेदनशीलता एवं उचित तरीके के साथ पूछा जाना चाहिए।



## पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों एवं दण्ड की सूची

| अपराध<br>प्रवेशन लैंगिक हमला | सेक्शन<br>(धारा) | न्यूनतम सजा<br>(जुर्माने सहित) | अधिकतम सजा<br>(जुर्माने सहित) |
|---|---|---|---|
| प्रवेशन लैंगिक हमला | 3/4 | 7 साल | आजीवन कारावास |
| गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला | 5/6 | 10 साल (सश्रम कारावास) | आजीवन कारावास |
| लैंगिक हमला | 7/8 | 3 साल | 5 साल |
| गुरूत्तर लैंगिक हमला | 9/10 | 5 साल | 7 साल |
| लैंगिक उत्पीड़न | 11/12 | – | 3 साल |
| अश्लीलता के (पोर्नोग्राफिक) उद्देश्य से बच्चे का उपयोग / अश्लील साहित्य | 13/14 | – | 5 साल |
| बहकाना/उकसाना / किसी अपराध का दुष्प्रेरण | 16 | – | |
| कोई अपराध करने के प्रयास का दण्ड | 18 | | |
| किसी केस की रिपार्ट नहीं करना या केस दर्ज नहीं करना | 21 | 6 माह | 1 साल |
| झूठी रिपार्ट करने या झूठा केस दर्ज करने की सजा | 22 | 6 माह | 1 साल |
| मीडिया संबंधित नियमों का उलंघन | 23 | 6 माह | 1 साल |

- अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय माने गए हैं अत : पुलिस को संज्ञान (पूरी जानकारी) लेना जरूरी है।
- किसी भी प्रकार के यौन हमले का अपराध गैर–जमानती है। इसका अर्थ है कि पुलिस अपने स्तर पर अपराधी को जमानत पर रिहा नहीं कर सकती।
- कोर्ट के आदेश से जमानत पर रिहा होने का अर्थ यह नहीं है कि केस खत्म हो गया है और अपराधी को सजा नहीं मिलेगी। यदि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद भी पीड़ित को कोई नुकसान पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है तो पुलिस एवं/या कोर्ट को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए और आवश्यक सुरक्षा ली जा सकती है।
- वैकल्पिक सजा (आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा शामिल की गयी धारा 42), यदि कोई अपराध पॉक्सो एक्ट के साथ साथ आईपीसी की भी किसी संबंधित धारा के तहत आता है तो अपराधी को पॉक्सो एक्ट या आईपीसी दोनो में से किसी के भी तहत सजा दी जा सकती है, जिससे अधिक परिमाण की सजा दी जा सके।
- पॉक्सो एक्ट न्याय के प्रति प्रभावशाली पहुंच को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम मामलों की रिपोर्टिंग के लिए और पीड़ित बच्चे के बयान की रिकोर्डिंग के लिए विशेष प्रक्रियाएं, एवं सुनवाई के लिए विशेष अदालतें उपलब्ध करवाता है।

# बच्चों की संस्थागत व गैर-संस्थागत देखभाल

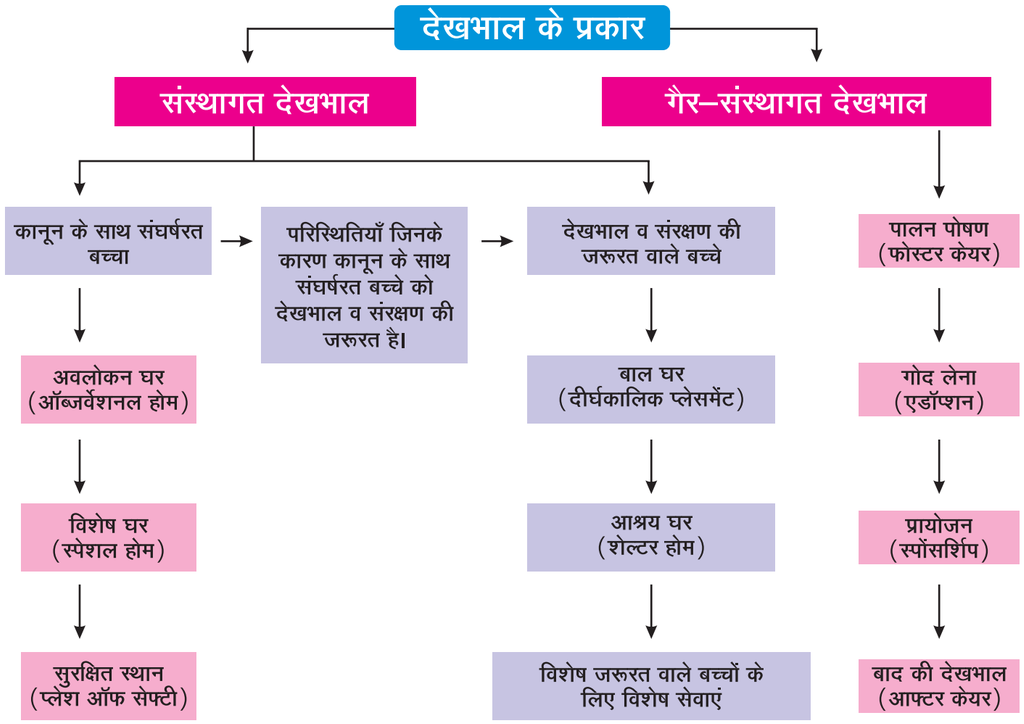


## बच्चे की परिभाषा

यूएनसीआरसी की परिभाषा के अनुसार 18 साल तक की आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा होता है। भारत में यह मुद्दा थोड़ा जटिल है, क्योंकि विभिन्न नियमों ने इसके लिए अलग अलग समय पर आयु की अलग अलग परिभाषाओं को मान्यता दी है। यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे एक्ट), यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट), बाल व किशोर श्रम (निषेध व नियमन) अधिनियम 1986, सभी में बच्चों की आयु को 18 वर्ष तक परिभाषित किया गया है। हालांकि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006, (सीएमपीए) में आयु की सीमा लड़कियों के लिए 18 वर्ष व लड़कों के लिए 21 वर्ष रखी गयी है।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय वयस्कता अधिनियम | 18 वर्ष |
| 2 | किशोर न्याय (देखभाल व संरक्षण) अधिनियम (बच्चा) | 18 वर्ष तक |
| 3 | बाल विवाह निरोधक अधिनियम (बच्चा/नाबालिग) | लड़कियों के लिए 18 वर्ष व लड़कों के लिए 21 वर्ष |
| 4 | नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (बच्चा) | 14 वर्ष तक |
| 5 | बाल व किशोर श्रम (निषेध व नियमन) अधिनियम 1986 | 14 वर्ष (निषेध)<br>18 वर्ष (नियमन) |
| 6 | यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम (बच्चा) | 18 वर्ष तक |



# राजस्थान में पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) योजना

| क्र.सं. | नुकसान या क्षति का विवरण | मुआवजे की अधिकत सीमा |
|---|---|---|
| 1. | जीवन हानि (कमाने वाला सदस्य)<br>जीवन हानि (निर्भर सदस्य) | रू. 5,00,000/–<br>रू. 2,50,000/– |
| 2. | हाथ–पैर या शरीर के किसी अंग की क्षति जिसके कारण 80% से अधिक अक्षमता हुई हो (कमाने वाला सदस्य)<br>हाथ–पैर या शरीर के किसी अंग की क्षति जिसके कारण 80% से अधिक अक्षमता हुई हो (निर्भर सदस्य) | रू. 5,00,000/–<br>रू. 2,50,000/– |
| 3. | हाथ–पैर या शरीर के किसी अंग की क्षति जिसके कारण 40% से लेकर 80% तक की अक्षमता हुई हो (कमाने वाला सदस्य)<br>हाथ–पैर या शरीर के किसी अंग की क्षति जिसके कारण 40% से लेकर 80% तक की अक्षमता हुई हो (निर्भर सदस्य) | रू. 80,000/–<br>रू. 50,000/– |
| 4. | हाथ–पैर या शरीर के किसी अंग की क्षति जिसके कारण 40% से अधिक अक्षमता हुई हो (निर्भर सदस्य) | रू. 25,000/– |
| 5. | अवयस्क के साथ बलात्संग | रू. 5,00,000/– |
| 6. | बलात्संग | रू. 5,00,000/– |
| 7. | पुनर्वास (रीहेबिलिटेशन) | रू. 1,00,000/– |
| 8. | मानव तस्करी, बाल शोषण व अपहरण जैसे मामलों में पीड़ित बच्चों व महिलाओं को पहुंची कोई चोट या क्षति जिसके कारण गंभीर मानसिक यातना पहुंची हो। | रू. 25,000/– |
| 9. | पीड़ित बालक को पहुंची कोई साधारण हानि या क्षति | रू. 20,000/– |
| 10. | ऐसिड (तेजाब) हमले के पीड़ित (स्थायी विद्रपता) | रू. 3,00,000/– |
| 10. | यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के अधिनियम, 2012 (पोक्सो) के तहत अपराध | |
| | क) प्रवेशन लैंगिक हमला | रू. 5,00,000/– |
| | ख) गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला | रू. 5,00,000/– |
| | ग) लैंगिक हमला | रू. 1,00,000/– |
| | घ) गुरूत्तर लैंगिक हमला | रू. 2,00,000/– |
| | च) अश्लीलता (पोर्नोग्राफिक) के उद्देश्य से बच्चे का उपयोग | रू. 1,00,000/– |

नोट : निम्नलिखित खर्चे अंतरिम राहत के लिए भुगतान किए जाने चाहिए :–

अ) अंतिम संस्कार का खर्च : 10,000/–

ब) मेडिकल खर्च : 25,000/– रूपयों तक

स) बच्चे के मामले में अंतरिम राहत : प्रतिकर (मुआवजे) की अधिकतम सीमा की 50% राशि

द) वयस्क के मामले में अंतरिम राहत : प्रतिकर (मुआवजे) की अधिकतम सीमा की 25% राशि

★ विशेष अदालत राज्य को शारीरिक या मानसिक आघात की तत्काल बहाली हेतु राज्य द्वारा स्थापित किए गए पीड़ित प्रतिकर (मुआवजा) फंड में से पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश दे सकती है। पीड़ित को मुआवजे का भुगतान केस के चलते समय बीच में और केस के समाप्त होने पर भी किया जा सकता है।

स्त्रोत : www.rlsa.gov.in

# संकेताक्षरों की सूची

| | |
|---|---|
| एडीजीपी | एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) |
| एएचटीयू | एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग युनिट (मानव तस्करी विरोधी इकाई) |
| सीसीआई | चाईल्ड केयर इन्स्टिट्यूशन (बाल देखभाल संस्थान) |
| सीसीपी | सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन (बाल संरक्षण केंद्र) |
| सीआईसीएल | चाईल्ड इन कान्फ्लिक्ट ऑफ लॉ (कानून के साथ संघर्षरत बच्चे) |
| सीजेएम | चीफ ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट) |
| सीएमएम | चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) |
| सीएनसीपी | चाईल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन (देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे) |
| सीआरसीपी | कोड ऑफ क्रिमनल प्रोसीज़र (दण्ड प्रक्रिया संहिता) |
| सीएसए | चाईल्ड सेक्सुअल एब्यूज (बाल यौन शोषण) |
| सीएसओ | सिविल सोसाईटी ऑर्गेनाईज़ेशन |
| सीडब्ल्यूसी | चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी (बाल कल्याण समिति) |
| डीसीपीओ | डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर (जिला बाल संरक्षण अधिकारी) |
| डीसीपीयू | डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन युनिट (जिला बाल संरक्षण इकाई) |
| डीएलएसए | डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ ऑथोरिटी (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण) |
| डीएम | डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट) |
| एचसीसी–जेजे | हाई कोर्ट कमेटी ऑन जुवेनाईल (उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति) |
| आईसीपी | इंडविजूअल केयर प्लान (व्यक्तिगत देखभाल योजना) |
| आईसीपीएस | इंटिग्रेटेड चाईल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (समेकित बाल संरक्षण योजना) |
| आईपीसी | इंडीयन पैनल कोड (भारतीय दण्ड संहिता) |
| आईटीपीए | इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 (अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956) |
| जेजे एक्ट | जुवेनाईल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट 2015 (किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2015) |
| जेजेबी | जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड) |
| जेजेएमआर | जुवेनाईल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) मॉडल रूल्स 2016 (किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल व संरक्षण) मॉडल नियम 2016) |
| एलपीओ | लिगल कम प्रोबेशन ऑफिसर (कानूनी सह परिवीक्षा अधिकारी) |
| एलएसए | लीगल सर्विसेज़ ऑथोरिटी (कानूनी सेवा प्राधिकरण) |
| एनसीपीसीआर | नैशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) |
| एनपीएसी | नैशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन (बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना) |
| ओएच | ऑब्जर्वेशन होम (अवलोकन घर) |
| पीसीएमए | प्रोहबिशन ऑफ चाईल्ड मैरिज एक्ट, 2006 (बाल विवाह निरोधक अधिनियम,2006) |
| पीओ | प्रोबेशन ऑफिसर (परिवीक्षा अधिकारी) |
| पीओसीएसओ (पोक्सो) | प्रोहबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, 2012 (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम, 2012) |
| आरटीई | राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी ऐजुकेशन एक्ट, 2009 (बच्चों का नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) |
| एसएआरए | स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी (राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी) |
| एससीपीसीआर | स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स (राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) |
| एससीपीएस | स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसाईटी (राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी) |
| एसआईआर | सोशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट (सामाजिक जाँच रिपोर्ट) |
| एसजेपीयू | स्पेशल जुवेनाईल पुलिस युनिट (किशोर विशेष पुलिस इकाई) |
| एसएलएसए | स्टेट लीगल सर्विसेज़ ऑथोरिटी (राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण) |
| एसपीयूपी | सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा व दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय |
| यूएनसीआरसी | संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौता |



# प्रशिक्षण कार्यक्रम

**वर्ष 2018 में सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटक्शन द्वारा राजस्थान में संभाग एवं जिला स्तर पर बाल संरक्षण विषय पर पुलिस एवं अन्य हितधारकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकियाँ**

# स्कूली बच्चों के साथ बाल दिवस का आयोजन

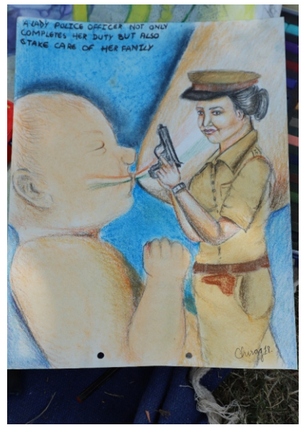

राजस्थान पत्रिका ★

## पेंटिंग्स और कार्टून के जरिए बच्चों ने दिया सुरक्षा का संदेश

**सेंट्रल पार्क बना चिल्ड्रंस पार्क, पेंटिंग और कार्टून मेकिंग कॉम्पिटीशन आयोजित**

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

जयपुर ◆ सायबर सेफ्टी, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप, लेडी पेट्रोल यूनिट और माय आइडिया ऑफ जयपुर पुलिस जैसे टॉपिक्स पर बच्चों ने पेंटिंग्स और कार्टून मेकिंग के जरिए मैसेज देने की कोशिश की। बुधवार को बाल दिवस के मौके पर सेंट्रल पार्क में जयपुर पुलिस, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ की ओर से पेंटिंग और कार्टून मेकिंग कॉम्पिटीशन में स्कूली बच्चों के ये क्रिएटिव आइडियाज सामने आए। चिल्ड्रंस पार्क के रूप में तब्दील हुए सेंट्रल पार्क में बच्चों का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर बच्चों ने सिक्योरिटी, गर्ल चाइल्ड और सायबर सेफ्टी जैसे मैसेज दिए। इस मौके पर विशिष्ट पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) एन.आर.के. रेड्डी ने कहा कि बाल दिवस पर प्रतियोगिता का आयोजन जनसहभागिता के तहत अच्छा नवाचार है। पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने प्रतिभागियों, विद्यालयों एवं निर्णायकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विशेष बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम में सभी पुलिसकर्मी भी खुश नजर आ रहे हैं। जयपुर पुलिस पहली बार जनसहभागिता कार्यक्रम के तहत बच्चों के साथ जुड़ी है। विभिन्न विषयों पर बनाई गई इन पेन्टिंग्स को कमिश्नरेट परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा और फोटो गैलेरी में भी अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज बच्चों ने अपने नजरिये से जयपुर पुलिस को देखा है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय तेजस्वनी गौतम मौजूद रहीं। पेंटिंग व कार्टून को वार्षिक कैलेंडर में प्रकाशित किया जाएगा।

**ये हैं प्रतियोगिता के विनर**

ए श्रेणी
1. उर्वी वीरवान, 2. निधि अग्रवाल, 3. हर्ष प्रजापत
सांत्वना 1. अमरजीत कौर 2. जयदीप सिंह

बी श्रेणी
1. पूनम शर्मा, 2. तनिष्का विजय, 3. यशस्वी जांगिड
सांत्वना 1. तान्या शर्मा 2. पलक गर्ग

सी श्रेणी
1. उमंग कुमार 2. आर्यन शर्मा 3. आस्था जैन
सांत्वना 1. मीनाक्षी मीना 2. शुभम प्रजापत

**कार्टून प्रतियोगिता के विनर**

ए श्रेणी मैंतान्या कंवर,
श्रेणी बी में खुश बत्रा
सी श्रेणी में तमन्ना जांगिड़